संख्या:28/2025/1137ई-2/तेरह-2025-480290

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 30 सितम्बर, 2025

विषयः-शासनादेश दिनांक 09.02.2024 द्वारा मेसर्स आई.जी.एल. आसवनी, गीडा, गोरखपुर आसवनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त "घ" में से केवल संचय टैंकों के स्थापना के प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-47/दो-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल, दिनांक 02-09-2025 तथा प्रकरण में दिनांक 19-09-2025 को अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या:1136 ई-2/तेरह-2025-480290, दिनांक 30-09-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 02-09-2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्तुति सहित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 09.02.2024 द्वारा मेसर्स आई.जी.एल. आसवनी, गीडा, गोरखपुर आसवनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त "घ" से केवल संचय टैंकों की स्थापना के प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) मै. इण्डिया ग्लाईकल लि. आसवनी, गोरखपुर द्वारा ग्रेन आधारित प्लाण्ट को ड्यूल मोड (ग्रेन एवं शीरा) किये जाने की अनुमति के अधीन सम्बन्धित उपकरण स्थापित करने की निर्धारित अवधि 17.03.2025 से एक वर्ष के अन्तर्गत बी-हैवी एवं सी-हैवी शीरा से निर्मित एथनॉल के संचय हेतु न्यूनतम दो टैंकों की स्थापना कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इकाई द्वारा शीरा आधारित प्लांट के सभी उपकरण पूर्ण करने से पूर्व इसकी सूचना आबकारी आयुक्त को दी जाएगी।

(3) इकाई को पूर्व में प्राप्त अनुमति संबंधी शासनादेश दिनांक 09.02.2024 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्या:28/2025/1137(1)ई-2/तेरह-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
(4) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ.प्र. शासन।
(5) प्रमुख सचिव,, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ.प्र. शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।
(9) गार्ड फाइल।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।